

## आ दे श

सत्र 2015–16 हेतु प्रथम वर्ष में प्रवेश हुये हैं, द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं की रेगिंग को रोकने एवं किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा नये छात्र/छात्राओं के साथ कोई अशोभनीय एवं अमानवीय व्यवहार को रोकने हेतु संस्था स्तर पर अनुशासन समिति का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित स्टाफ को अनुशासन समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

अनुशासन समिति का यह दायित्व होगा कि वे संस्था परिसर एवं संस्था परिसर के आस-पास पुराने एवं नये छात्रों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई रैगिंग/झगड़ा/मतभेद न होने दें। यदि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में इस प्रकार का कोई विवाद आता है तो अनुशासन समिति के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


- 1—श्रीमती नर्मदा सिंह
- 2—श्री बृजेश पाण्डे
- 3—डा० संजय कुमार
- 4—श्री तरुण अरोड़ा
- 5—श्री तपन अरोड़ा
- 6—श्री धीरज कुमार बनवाल
- 7—श्री आर०पी० चन्द्रोला
- 8—श्री संदीप नौटियाल
- 9—श्री रामनरेश सिंह सचान
- 10—कु० शिल्पा
- 11—कु० पिमा देवी
- 12—सु०श्री प्रिया डंगवाल
- 10—श्री श्यामल गांगूली
- 11—श्री एस०सी०उनियाल
- 12—श्री दिनेश कुमार शर्मा
- 12—श्री कृष्ण कुमार
- 13—श्री राजेश कुमार
- 14—श्रीमती शशि नौटियाल

विशेष— प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष / विभाग प्रभारी का यह दायित्व होगा कि अपने विभाग में पूर्ण रूप से अनुशासन बनाये रखें। विशेष रूप से मध्यान्तर के समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे अपने विभाग के स्तर से सुलझाना सुनिश्चित करें।

यह भी अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा भारत सरकार नई दिल्ली ने रैगिंग को एक दण्डनीय अपराध मानते हुये रैगिंग को रोकने के लिये सख्त कार्यवाही करने के आदेश पारित किये हैं। इस दिशा में निदेशक महोदय के द्वारा भी सख्त आदेश दिये गये हैं कि यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग करते हुये पाये जाते हैं तो उनके विरुद्धसख्त कार्यवाही की जाये एवं कार्यवाही से निदेशक महोदय को अवगत कराया जाये।


छात्र/छात्रा का नाम रैगिंग में आने पर उनके निलंबन की कार्यवाही / कानूनी कार्यवाही (FIR) का प्राविधान भी किया गया है।

अतः समिति के सदस्य यह सुनिश्चित कर लें कि संस्था स्तर पर किसी प्रकार की रेगिंग न होने देने के लिये उसके प्रति जागरूक रहें।

  
(बृजेश पाण्डे)  
प्रधानाचार्य

पत्रांक 58287 वर्तालय प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक नरेन्द्रनगर, टिहरी—गढवाल  
प्रतिलिपि— छात्र अनु०/ अनुशासन/ प्रोफेटर  
दिनांक 28-07-2015

- 1—निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढवाल।
- 2—उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी—गढवाल।
- 3—थानाध्यक्ष नरेन्द्रनगर
- 4—पुलिस चौकी पलासडा, नरेन्द्रनगर।
- 5—अध्यक्ष अनुशासन समिति श्रीमती नर्मदा सिंह, विभागाध्यक्ष फार्मेसी, संस्थागत।
- 6—समिति के समस्त सदस्यों को नोट करने हेतु।

  
(बृजेश पाण्डे)  
प्रधानाचार्य